न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 89/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2012/00177

उनवान

1. कुसुम देवी पत्नी घनश्याम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।
2. कमला देवी पत्नी हरीओम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. श्री कृष्ण पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासीयान मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।
2. नवाव खाँ पुत्र बाबू खाँ जाति मनिहार निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला मथुरा(उ0प्र0)
3. त्रिलोकचन्द उर्फ टिल्लू }
4. राधेश्याम उर्फ पोपल } पुत्रगण हरिश्चन्द्र
5. विशनदेई पत्नी मदनलाल

(3 से 5) जाति वैश्य नि0 ग्राम मनियाँ तह0 व जिला धौलपुर।

6. भूरी पत्नी डा0 सुरेशचन्द्र जाति वैश्व निवासी जवाहर नगर, धौलपुर।
7. मदन गोपाल पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य
8. राधेश्याम }
9. विजेन्द्र }
10. रामखिलाडी } पुत्रगण हुब्बलाल जाति ओझा
11. रामदत्त }
12. पप्पू
13. विशनस्वरूप }
14. भगवानस्वरूप } पुत्र प्रयागनारायण जाति वैश्य
15. हेमचन्द पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य
16. मुंशीलाल पुत्र राजाराम जाति वैश्य
17. कमला पत्नी मुंशीलाल जाति वैश्य
18. रामदेवी पत्नी विजेन्द्र जाति ओझा
19. योगेन्द्र पुत्र मुंशीलाल जाति वैश्य

(7 से 19) निवासीगण ग्राम मनियाँ तहसील व जिला धौलपुर।

20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

अपील संख्याः— 12/2013 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या — 2013/00099

उनवान

1. रामादेवी पत्नि श्री बिजेन्द्र जाति ओझा निवासी मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
2. बिजेन्द्र
3. राधेश्याम
4. रामखिलाडी
5. रामदत्त
6. पप्पू

(क्र. 2 से 6) पुत्रगण हुब्बलाल जातिगण ओझा निवासी मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

7. योगेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री मुंशीलाल गुप्ता जाति वैश्य निवासी मनियॉ जिला धौलपुर।
8. मुंशीलाल गुप्ता पुत्र श्री राजाराम गुप्ता जाति वैश्य निवासी मनियॉ जिला धौलपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. श्री कृष्ण पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासीयान मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
2. नवाव खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति मनिहार निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला मथुरा(उ0प्र0)
3. त्रिलोकचन्द उर्फ टिल्लू
4. राधेश्याम उर्फ पोपल
5. विशनदेई पत्नी मदनलाल

(क्र. 3 व 4) पुत्रगण हरिश्चन्द्र; (क्र. 3 से 5) जाति वैश्य नि0 ग्राम मनियॉ तह0 व जिला धौलपुर।

6. भूरी पत्नी डा0 सुरेशचन्द्र जाति वैश्य निवासी जवाहर नगर, धौलपुर।
7. मदन गोपाल पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासी मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
8. विशनस्वरूप
9. भगवानस्वरूप

(क्र. 8 व 9) पुत्र प्रयागनारायण जाति वैश्य निवासी मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

10. हेमचन्द पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासी मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
11. कुसुम देवी पत्नी घनश्याम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
12. कमला देवी पत्नी हरीओम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर प्रकरण संख्या 143/2010 उनवानी श्रीकृष्ण बनाम नवाब खॉ वगै0।

उपस्थितिः—

1. श्री निशान्त भार्गव एवं श्री लक्ष्मण सिंह जादौन वकील अपीलांट।
2. श्री नत्थीलाल शर्मा वकील रेस्पोंडेंट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

निर्णय दिनांक–26.03.2021

1. यह दोंनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त दोंनों अपीलो में समान आराजी व समान पक्षकार अर्न्तनिहित होने से दोंनों अपीलो को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 862 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम मनियॉ उप तहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर में वादी/रैस्पो0 संख्या 01, 1/5 भाग का अभिलिखित खातेदार कृषक है एवं संयुक्त अधिपत्यधारी एवं सहखातेदारान भूमि के साथ संयुक्त रूप से काबिज है। चूंकि विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। अतः सहखातेदारान के बीच विवादित आराजी को इस्तमाल करने में मनमुटाव बना रहता है। अतः विवादित आराजी का विधिवत विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन एवं प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 21.02.2011 को प्रारम्भिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलव किये जाकर अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट श्रीमती कुसुम देवी एवं राम देवी द्वारा यह दोंनों अपीले पृथक–पृथक रूप से, इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों अपीलों में एक साथ, बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट्स के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के सर्वथा विपरीत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार धौलपुर को अधिकृत किया था। तहसीलदार धौलपुर का कर्तव्य था कि वह उभयपक्षो को पूर्व सूचना देकर उनकी उपस्थिति में स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु तहसीलदार धौलपुर ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उनके द्वारा ना तो पक्षकारो को कोई नोटिस जारी किये गये तथा ना ही तहसीलदार धौलपुर स्वयं मौके पर गये उन्होनें पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्तावों पर प्रति–हस्ताक्षर करते हुये, विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गयें हैं जो विधि विरूद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह स्पष्ट आदेश था कि पक्षकारों के मौके पर कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जावें। परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। जिसकी आपत्ति

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अधीन प्रस्तुत की थी। अपीलाण्ट का जिस स्थान पर कब्जा है वह स्थान अन्य सहखातेदारान को दे दिया गया एवं रकवे को भी घटा– बढा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति का निस्तारण सरसरी तौर पर करते हुये, दावा अन्तिम डिक्री करने में भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2019(1) पेज 380, 2019(2) पेज 1547 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुये, प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई व नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन सही व विधि अनुरूप है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही बनाये गये हैं एवं सभी पक्षकारो की उपस्थिति में बनाये गये हैं। विभाजन प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्तावो पर पक्षकारो ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विभाजन प्रस्तावों पर तहसीलदार मनिया, तहसीलदार धौलपुर, पटवारी हल्का, आई एल आर के हस्ताक्षर हो रहे हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि कुर्रे तहसीलदार द्वारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के तैयार किये गये हैं एवं पक्षकारो के हिस्से अनुसार ही हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि कुर्रे प्रस्ताव उनकी अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं एवं कुर्रे प्रस्तावो को तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) 1955 नियम 18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नहीं है। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध कुर्रे प्रस्तावो में अंकित है कि ''न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के आदेश की अनुपालना में प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 862 रकवा 1–03 बीघा के कुर्रेजात तैयार किये गये, जो राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिती के अनुसार तैयार किये गये हैं'' उक्त कुर्रे प्रस्तावों में स्वयं तहसीलदार के हस्ताक्षरो के साथ अन्य राजस्व कार्मिक हल्का पटवारी, गिरदावर एवं नायब तहसीलदार मनियॉ के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त कुर्रे प्रस्तावो में यह कही भी अंकित नहीं है कि कुर्रे प्रस्ताव पटवारी अथवा गिरदावर से तैयार कर भिजवाये जा रहे हैं। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.01.2012 से उक्त कुर्रे प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये हैं उस पत्र में भी, यह ही अंकित है कि चाहे गये विभाजन प्रस्ताव, तैयार कर पत्र के संलग्न भिजवाये जा रहे हैं। विभाजन प्रस्ताव एवं उक्त पत्र में यह कही भी अंकित नहीं है कि प्रकरण में चाहे गये विभाजन प्रस्ताव पटवारी, गिरदावार अथवा नायब तहसीलदार से तैयार कर भिजवाये जा रहे हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभाजन प्रस्तावो में यह भी अंकित है कि पक्षकारान उपस्थित नहीं आये तथा हस्ताक्षर करने से भी मना किया। जिससे जाहिर होता है कि मौके पर पक्षकारान उपस्थित थे एवं उन्होंनें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस तथ्य को जब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

से गलत सिद्ध नही कर देते। इस प्रकार अपीलाण्ट ने अपीलाधीन कुर्रे प्रस्तावो में त्रुटि के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं बताया है। अपीलाण्ट स्वयं ने विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया एवं अपने प्रार्थना पत्र एतराज कुर्रे प्रस्ताव में भी उक्त के अलावा कोई भिन्न कुर्रे भी नहीं बताये हैं। अतः कुर्रे तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन के नियमों अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बॅटवारा करते हुए बनाये हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्रत्यक्षतः तर्क संगत मालूम होता है, जिसमें हम किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित नही समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकीदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7,जाब्ता दाबानो

(civil procedure code; Appendix D&I)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर कैम्प धौलपुर
(इजलास अखिलेश कुमार पिपल आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 89 / 2012 (धारा 223 आर. टी.एक्ट.)

1. कुसुमदेवी पत्नी घनश्याम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
2. कमलादेवी पत्नी हरीओम जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. श्री कृष्ण पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य निवासीगण मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
2. नवाव खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति मनिहार निवासी ग्राम जिरौली तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)।
3. त्रिलोकचन्द उर्फ टिल्लू } पुत्रगण हरीशचन्द्र } जाति वैश्य नि0 ग्राम मनियॉ तह0 व जिला धौलपुर।
4. राधेश्याम उर्फ पोपल }
5. विशनदेई पत्नी मदनलाल }
6. भूरी पत्नी डा0 सुरेशचन्द्र जाति वैश्य निवासी जवाहर नगर,धौलपुर।
7. मदन गोपाल पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य } निवासीगण ग्राम मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
8. राधेश्याम } पुत्रगण हुब्बलाल जाति ओझा
9. विजेन्द्र }
10. रामखिलाडी }
11. रामदत्त }
12. पप्पू }
13. विशनस्वरूप } पुत्र प्रयागनारायण जाति वैश्य
14. भगवानस्वरूप }
15. हेमचन्द पुत्र रघुवरदयाल जाति वैश्य
16. मुंशीलाल पुत्र राजाराम जाति वैश्य
17. कमला पत्नी मुंशीलाल जाति वैश्य
18. रामदेवी पत्नी विजेन्द्र जाति ओझा
19. योगेन्द्र पुत्र मुंशीलाल जाति वैश्य
20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 15.05.2012 मि.नं. 143 / 2010 उनवानी श्रीकृष्ण बनाम नवाब खॉ वगैरहा।

आज इस मुकदमा का फैसला कतई रूबरू मुझ व हाजरी श्री विनोद कुमार भार्गव अभिभाषक मिनजानिव अपीलान्ट एंव मिनजानिब रेस्पोडेंट श्री लक्ष्मण सिंह जादौन अभिभाषक हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व ड्रिकी दिनांक 15.05.2012 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2021 को जारी की गई।

26.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी एंव
कार्यवाहक भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर